पंकज जैन, आई.ए.एस

सचिव
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
247, 'ए' विंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली- 110011

अ. शा.पत्र संख्या: 2/2/सचिव (डीडब्ल्यूएस)/2014
दिनांक: 13 अगस्त, 2014

**प्रिय महोदय,**

भारत सरकार, महात्मा गाँधी की 150वीं जन्म शताब्दी के सम्मान के रूप में वर्ष 2019 तक "स्वच्छ भारत" के प्रति वचनबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में "स्वच्छ भारत" प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित बातों पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है:-

(क) वैयक्तिक, कलस्टर और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना सुगम बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों को "खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)" बनाना।

(ख) इस संबंध में गैर-पात्र श्रेणियों के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी सहित लाभार्थियों को सूक्षम वित्त और/अथवा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण उपलब्ध कराना।

(ग) गाँव में गलियों की सफाई और उचित तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

(घ) ग्रामीण परिवारों द्वारा "मांग पर नल लगाना" (कनैक्शन फीस और मासिक प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान पर) प्रत्येक बसावट में पाइप द्वारा जल-आपूर्ति सुगम बनाना। इस संबंध में,अनेक राज्यों में पानी के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए, जहाँ कहीं संभव हो, वैकल्पिक सतह जल स्रोतों की भी पहचान की जाए। अन्यथा ऐसा नहीं किए जाने पर टयूब-वैलों की जरूरत पडेगी।

2. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में आपकी राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की शीघ्र समीक्षा करें और किए गए उपायों के बारे में हमें प्रत्येक महीने नियमित रूप से सूचित करें। वर्ष 2019 तक "स्वच्छ भारत" का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य को विशेष रूप से वार्षिक उपलब्धियों में कम से कम 3 से 4 गुणा वृद्धि करने की आवश्यकता है।

3. जैसा कि पहले अनुरोध किया गया था कि “स्वच्छ भारत” प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर जल एवं स्वच्छता के संबंध में कार्य करने के लिए एक ही विभाग होना अच्छा होगा। यदि ऐसा करना तत्काल संभव नहीं हो तो राज्य स्तर पर दो विभागों के बीच में एक अच्छा समन्वय किया जाए।

सादर,

आपका,

(पंकज जैन)

सेवा में,

सभी मुख्य सचिव (नाम से)
सभी राज्य

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव (स्वच्छता) और संयुक्त सचिव (जल)